विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/17

मेसर्स विनस अलॉइज प्रा.लि. – आवेदक
द्वारा – श्री एस.एम. जैन,
67, इण्डस्ट्रीयल एरिया, महू–नीमच रोड,
मंदसौर म.प्र.–458001

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (उज्जैन क्षेत्र) – अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., उज्जैन म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मंदसौर म.प्र

आदेश
(दिनांक 05.07.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0358517 मेसर्स विनस अलॉइज प्रा.लि., मंदसौर विरूद्ध मुख्य अभियंता (उ. क्षे.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. उज्जैन एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–02/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान फोरम के आदेश दिनांक 30.01.2017 से 11 दिन विलंब से अपील प्रस्तुत करने पर क्षमा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उनके द्वारा अवगत कराया गया कि फोरम द्वारा दिया गया निर्णय उन्हें डाक से भेजने के कारण निर्णय की प्रति दिनांक 17.2.2017 को प्राप्त हुई। अतः विलम्ब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाए।

04 दिनांक 4.5.2017 को सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील पर अनावेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई तथा आवेदक द्वारा दिये गये कारणों को स्वीकार करते हुए विलम्ब से प्रस्तुत अपील को ग्राह्य की जाकर सुनवाई प्रारंभ की गई। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उनकी अपील पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिउत्तर पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई की तिथि देने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 19.5.2017 नियत की गई।

05 दिनांक 19.5.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के अधिवक्ता श्री गिरीश शर्मा उपस्थित हुए तथाा अनावेदक की ओर से श्री आर.के. नायर, कार्यपालन यंत्री, मंदसौर उपस्थित हुए।

06 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनका उच्चदाब विद्युत कनेक्शन जिला मंदसौर में स्थित है जिसकी की मासिक रीडिंग लेने की अवधि माह की 9 तारीख दूसरे माह की 8 तारीख तक निश्चित की गई। परन्तु नवंबर 2016 में उनके मीटर की रीडिंग 30 तारीख को ली गई। अर्थात पिछले माह की रीडिंग से 22 दिनों के पश्चात पुनः रीडिंग ली गई इसलिए उनसे फिक्स चार्ज को 22 दिनों के अनुपात में लिया जाना चाहिए था, जबकि अनावेदक द्वारा उनसे पूरे माह का फिक्स चार्ज लिया गया।

07 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को बिलिंग तारीख में परिवर्तन करने की सूचना दी गई थी। आवेदक द्वारा तर्क दिया गया कि यद्यपि बिलिंग तारीख बदलने की सूचना मिल गई थी परन्तु वे यह समझ रहे थे कि उनसे प्रो–रेटा (pro rata) के आधार पर बिल लिया जाएगा। अतः उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई।

08 आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनावेदक द्वारा बिलिंग तारीख परिवर्तित करने के कारण 'बी' ग्रुप के उपभोक्ताओं की 22 दिन में ही फिक्स चार्ज जो कि पूरे महिने के लिए नियत है, के हिसाब से बिलिंग की गई। जबकि अन्य 'ए' ग्रुप के उपभोक्ताओं की रीडिंग 38 दिन के बाद ली गई, परन्तु उनसे भी फिक्स चार्ज सिर्फ पूरे माह का ही लिया गया। अतः अनावेदक का यह कृत्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45(4) के विपरीत है।

09 अनावेदक द्वारा अपने तर्क में यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा आवेदक को बिल विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1 (एच) के अनुसार किया गया है अतः किसी तरह का बिल संशोधित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे मंदसौर क्षेत्र में उच्चदाब उपभोक्ता जो कि ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' में शामिल है, की सूची तथा बिलिंग चक्र पूर्व में क्या निर्धारित थी प्रस्तुत करने हेतु अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 13.6.2017 को नियत की गई।

10 दिनांक 13.6.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक को दिये गये निर्देश के प्रतिपालन में अनावेदक के प्रतिनिधि श्री मनोज पटेल, सहायक लिपिक–3 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा पुनः रिज्वाइंडर अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अनावेदक के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराकरा अगली तिथि में अनावेदक को उपस्थित रहने एवं आवेदक के रिज्वाइंडर पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 24.6.2017 में उपस्थित रहने के निर्देश दिये।

11 दिनांक 24.6.2017 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रिज्वाइंडर तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिउत्तर एवं पूरक प्रतिउत्तर पर विस्तृत वहस की गई। तर्क के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार जानकारी दी गई कि –

अ उनका उच्चदाब विद्युत कनेक्शन है जिसकी कि संविदा मांग 3700 केवीए है मंदसौर जिले में स्थित है।

ब उनके विद्युत कनेक्शन की मीटर रीडिंग प्रत्येक माह की 8 तारीख को ली जाती थी तथा उनका बिलिंग माह की 9 तारीख से दूसरे माह की 8 तारीख तक रहता है।

स अनावेदक द्वारा अपनी सहूलियत के अनुसार नवंबर 2016 में बिलिंग माह चेंज करते हुए जो रीडिंग 8 दिसंबर 2016 को ली जानी थी उसे 30 नवंबर 2016 को ली गई। इस प्रकार उनके बिलिंग माह की अवधि 22 दिन हुई। परन्तु अनावेदक द्वारा उनसे निर्धारित फिक्स चार्ज जो कि एक माह के लिए नियत है, के अनुसार विद्युत देयक दिया गया जबकि प्रोरेटा आधार पर फिक्स चार्ज लिया जाना था।

द अनावेदक द्वारा उपरोक्त परिवर्तन करने से उन्हें फिक्स चार्ज जो कि महिने भर के लिए नियत था 22 दिन में ही भुगतान करना पड़ा। जबकि अन्य 'ए' ग्रुप के उपभोक्ताओं को जिनकी कि बिलिंग चक्र 24 तारीख से दूसरे माह की 23 अक्टूबर थी, की रीडिंग 30 नवंबर 2016 को ली गई। इस प्रकार उनकी मीटर रीडिंग 38 दिनों के पश्चात ली गई जिसके कारण 'ए' ग्रुप के उपभोक्ताओं से 38 दिन की अवधि के लिए भी एक महिने का नियत प्रभार लिया गया जबकि 'बी' ग्रुप के उपभोक्ताओं को 22 दिन की अवधि होने पर भी पूरे महीने का नियत प्रभार देना पड़ा। अतः अनावेदक द्वारा दोनों ग्रुप के उपभोक्ताओं के बीच नियत प्रभार लिए जाने में मतभेद किया गया।

12 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि उनके एवं अनावेदक के मध्य संपादित अनुबंध की कंडिका 24(ए) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि एक कलेण्डर माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात रीडिंग लेकर जहां तक संभव हो 15 दिनों के अंदर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को बिल प्रस्तुत करेगे। इससे स्पष्ट है कि कलेण्डर माह की समाप्ति के पश्चात ही मीटर रीडिंग ली जानी चाहिए।

13 आवेदक द्वारा अपने तर्क में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.24 पर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि इस कंडिका में भी उच्चदाब उपभोक्ता की रीडिंग मासिक आधार लिये जाने का उल्लेख है तथा आवेदक द्वारा यह बताया गया म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में भी नियत प्रभार का निर्धारण रूपये प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड प्रति माह दर्शाया गया है। अतः नियत प्रभार एक महिने की अवधि के लिए ही नियत किया गया है। जबकि यह प्रभार हमसे 22 दिनों की अवधि के लिए लिया गया।

14 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनुबंध की कंडिका 38 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि किसी बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु यदि आवश्यकता पड़ती है तो जनरल क्लाज

एक्ट 1897 के संदर्भ में देखा जाए। जनरल क्लाज एक्ट 1897 में माह को ब्रिटिश कलेण्डर माह के अनुसार परिभाषित किया गया है जो कि 1 तारीख से शुरू होकर माह की अंतिम तिथि 28, 30, 31 हो सकती है अतः 22 दिनों की अवधि का बिलिंग माह मानकर बिल किया जाना नियमानुसार गलत है।

15 अनावेदक द्वारा आवेदक के उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में अवगत कराया गया कि –

अ अनावेदक द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1(एच) में बिलिंग माह को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 2 मीटर रीडिंग लेने के बीच के दिवस को बिलिंग माह माना गया है। अर्थात 2 रीडिंग लेने की बीच की अवधि को एक माह मान्य किया गया है।

ब यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन किसी माह के मध्य में प्रारंभ होता है तो प्रथम विद्युत देयक माह में फिक्स चार्ज की गणना, वास्तविक खपत दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी एवं अन्य प्रभार की गणना प्रो–रेटा के आधार पर की जाएगी। अर्थात फिक्स चार्ज को प्रो–रेटा के अनुसार बिल नहीं किया जा सकता।

स अनावेदक द्वारा अनुबंध की कंडिका 38 के संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी तथ्य के अभिव्यक्त न होने की दशा में अनुबंध पर सप्लाई कोड अधिभावी प्रभावी रखेगा उसके उपरांत संदर्भ हेतु अन्य नियमों का आश्रय लिया जावेगा। चूंकि विद्युत प्रदाय संहिता में बिलिंग माह समाहित है अतः जनरल क्लाज एक्ट 1897 के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

द अनुबंध की कंडिका 24(ए) के संदर्भ में अनावेदक द्वारा तर्क दिया गया कि दर्शित कलेण्डर माह, उपभोक्ता की रीडिंग अनुसार कलेण्डर माह में विद्युत देयक दिये जाने के संबंध में है। जिसके तहत रीडिंग लिये जाने के 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को बिल दिया जाना आवश्यक है। अतः इस कंडिका का बिलिंग माह की परिभाषा से कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त उभय पक्षों के तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेज एवं लिखित प्रतिउत्तर के आधार पर निम्न तथ्य सामने आते हैं –

a आवेदक के विद्युत कनेक्शन की रीडिंग पूर्व में 8 नवंबर 2016 को ली गई थी।

b उपभोक्ता की पुनः रीडिंग 30 नवंबर 2016 को ली गई थी इस प्रकार पिछली रीडिंग के बाद 22 दिनों के बाद पुनः रीडिंग ली गई। जबकि एक अन्य ग्रुप के उपभोक्ता की रीडिंग जो 23 अक्टूबर 2016 में ली जानी थी, की रीडिंग भी 30 नवंबर 2016 को ली गई। इस प्रकार पिछली रीडिंग से लगभग 38 दिन के पश्चात ली गई।

c अनावेदक द्वारा मीटर रीडिंग की तिथी परिवर्तित करने से उनके द्वारा ग्रुप 'ए' के समस्त उपभोक्ताओं को 38 दिन की अवधि में बिल दिया गया जबकि 'बी' ग्रुप के उपभोक्ताओं को 22 दिन की अवधि में ही दूसरा बिल प्राप्त हो गया।

d म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए जारी टैरिफ आदेश में 3.4 के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल जारी किये जा रहे हैं । इसके अनुसार मासिक नियत प्रभार रूपये प्रति केवीए बिलिंग डिमाण्ड प्रति माह (Rs./kVA of billing demand per month) नियत किये गये हैं।

e विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ में भी नियत प्रभार प्रत्येक माह के लिए निश्चित किये गये हैं जो कि बिलिंग माह के लिए है।

f म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.34 के अनुसार भी उच्चदाब कनेक्शन की रीडिंग मासिक आधार पर ली जाना निर्धारित है।

g विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1 (एच) ''बिलिंग माह (Billing month)''से तात्पर्य दो मापयन्त्र (मीटर) वाचनों के मध्य तिथियों के अंतर्गत दिवस संख्या की अवधि से है जिसे उपभोक्ता को बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना गया है।

16 आवेदक एवं अनावेदक के बीच निष्पादित अनुबंध की कंडिका 38 में उल्लेख है कि कोई अभिव्यक्ति इसमें अथवा विद्युत अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, म प्र विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा इनके अन्तगर्त विरचित विनियमों अथवा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित न की गई हो वहां प्रयोग की गई अभिव्यक्तियां वही अर्थ रखेंगी जैसा कि विद्युत प्रदाय उद्योग में इन हेतु सामान्य रूप से नियत की गई हों । अर्थात ऐसे कोई बिन्दु जो कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 अथवा आयोग द्वारा जारी विनियमों में स्पष्ट न हों, तब उसे विद्युत अधिनियम 2003, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम 2010, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 एवं साधारण खण्ड अधिनियम 1897 में परिभाषित बिन्दुओं के संदर्भ में देखा जाए का उल्लेख है। इस प्रकरण में विवाद आवेदक एवं अनावेदक के बीच महीने की परिभाषा को लेकर है। जबकि साधारण खण्ड अधिनियम 1897 में महीने को ब्रिटिश कलेण्डर मंथ को परिभाषित किया है जो कि महीने की 1 तारीख से 28/30/31 दिवस की अवधि का होता है।

17 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 की कंडिका 5 के अनुसार जनरल क्लाज एक्ट 1897 की धारा 6 के सामान्य लागू होने पर, निरसन के प्रभाव का ध्यान रखते हुए, प्रभाव डालने वाले या प्रतिकूल हानि पहुंचाने वाले अभिनिर्धारित नहीं किये जा सकते।

18 उपरोक्त तथ्यों के अधार पर यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपनी सहूलियत को देखते हुए आवेदक की रीडिंग लेने की तिथियों को परिवर्तित किया गया जिससे कि आवेदक को 22 दिन की अवधि में ही दूसरा बिल प्राप्त हुआ तथा एक अन्य ग्रुप के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक 38 दिनो के बाद दिया गया। परन्तु दोनों से नियत प्रभार जो कि एक महीने के लिए निर्धारित किया गया है, लिया गया।

19 म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में नियत प्रभार प्रति माह हेतु निर्धारित किया है। जबकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में बिलिंग डिमाण्ड परिभाषित की गई ना की माह।

20 म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में बिलिंग माह का मतलब दो रीडिंग लेने की तिथि के बीच दिनों को बिलिंग हेतु एक महीना मान्य किया गया है। इस प्रकार विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में बिलिंग माह को परिभाषित किया है ना की महीने की अवधि को परिभाषित किया गया है।

21 आवेदक एवं अनावेदक के बीच अनुबंध की कंडिका 38 में भी यह उल्लेख है कि कोई अभिव्यक्ति जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003, केन्द्र विद्युत प्राधिकरण 2010 एवं म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000 तथा साधारण खण्ड एक्ट 1897 मे ंपरिभाषित किया गया हो। तब अभिव्यक्तियां ये अर्थ रखेगी कि विद्युत प्रदाय उद्योग में इस हेतु नियत की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रचलित अभिव्यक्ति के अनुसार महीने की अवधि 28, 30 या 31 दिन मानी गई है, ना की 22 दिनों की अवधि का महीना माना जाएगा। किसी भी तर्क से यह न्याय संगत नहीं है कि एक समान वर्ग के एक ग्रुप के उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग माह 22 दिन एवं दूसरे ग्रुप के उपभोक्ताओं के लिए 38 दिनों का मानकर पूरे माह के लिए निर्धारित नियत प्रभार की बिलिंग की जाए। उदाहरण के तौर पर यदि इस प्रकरण में बी ग्रुप के उपभोक्ताओं जिनकी कि रीडिंग 22 दिनों के अंतराल में ली गई, यदि उनकी रीडिंग लेने की अवधि 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होती एवं अनावेदक द्वारा बिलिंग रोस्टर परिवर्तित करने पर रीडिंग 30 नवंबर को ले ली जाती तो क्या 15 दिन की अवधि का भी एक महीना मानते हुए नियत प्रभार पूरे माह के लिए चार्ज करना उचित होता।

22 जनरल क्लाज एक्ट 1897 में महीने को ब्रिटिश कलेण्डर माह माना गया ना कि अन्य कोई महीने के बीच की अवधि को महीना माना गया। इस प्रकरण से संबंधित दोनों ग्रुप के उपभोक्ताओं से नियत प्रभार अलग–अलग अवधि के लिए एक समान लिया जाना लॉ ऑफ इक्वीटी के विपरीत है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45(4) के अनुसार भी नियत प्रभार लिये जाने में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

23 जबकि इस प्रकरण में 'अ' वर्ग के उपभोक्ताओं को 38 दिन की अवधि के लिए एक महीने हेतु नियत प्रभार लिया गया तथा अन्य 'ब' ग्रुप के उपभोक्ताओं से 22 दिन की अवधि के लिए भी एक महीने के लिए नियत प्रभार लिया गया जिससे स्पष्ट है कि 'अ' ग्रुप के उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा तथा 'ब' ग्रुप के उपभोक्ताओं से नियत प्रभार 22 दिन की अवधि के लिए भी पूरा माह हेतु निर्धारित प्रभार लिया जाकर अधिक भुगतान लिया गया।

24 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए जारी टैरिफ आदेश में उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए जारी जनरल टर्म एण्ड कंडीशन की कंडिका 1.17(ए) में अस्थाई

उच्चदाब कनेक्शन के लिए फिक्स चार्जेस एवं इनर्जी चार्जेस की गणना निम्नानुसार करने का प्रावधान है –

1.17 (ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभारों की वसूली माह के दौरान संयोजन से प्राप्त की गई दिवस संख्या सेवाओं के आधार पर मासिक स्थाई प्रभारों की आनुपातिक दर पर की जाएगी। माह में दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जाएगा।

जिसके अनुसार फिक्स चार्जेस दिवस की संख्या के अनुसार प्रोरेटा के आधार पर बिलिंग करने के प्रावधान है, तब इसी प्रावधान के अनुसार स्थाई उच्चदाब उपभोक्ताओं को भी फिक्स चार्जेस प्रोरेटा के आधार पर बिलिंग क्यों नहीं की जा सकती। जबकि इस प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से बिलिंग चक्र परिवर्तित करने के कारण एक ग्रुप के उपभोक्ताओं का महीना 22 दिन एवं दूसरे ग्रुप के उपभोक्ताओं का महीना 38 दिन का मानकर नियत प्रभार लिया गया जो कि किसी भी दृष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1(एच) में भी यद्यपि 2 मीटर रीडिंग की बीच की अवधि को बिलिंग माह माना गया है, परन्तु नियत प्रभार की गणना महीने के आधार पर ही लिये जाएं की मंशा स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं से चाहे वे स्थाई हों या अस्थाई दो तरह का व्यवहार करने हेतु नियम अलग–अलग नहीं बनाये जा सकते।

25 आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध की कंडिका 38 के अनुसार कोई अभिव्यक्ति जो कि संबंधित अधिनियम, विनियम में परिभाषित नहीं की गई, को विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रचलित अभिव्यक्ति के अर्थ के अनुसार माना जाएगा एवं जिसके अनुसार विद्युत प्रदाय उद्योग में माह की अभिव्यक्ति को ब्रिटिश कलेण्डर माह जो कि प्रत्येक माह की 1 तारीख से शुरू होकर माह अनुसार 28/30/31 दिनों का होता है, प्रचलित है तथा इसकी पुष्टि साधारण खण्ड अधिनियम 1897 से भी होती है।

26 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1(एच) में बिलिंग माह दो मीटर रीडिंग की तिथियों के बीच के दिनों की अवधि को माना गया है जिसकी आढ़ में अनावेदक अपनी सहूलियत से बिलिंग माह की अवधि को इस तरह परिवर्तित नहीं कर सकता की मीटर रीडिंग लेने की अवधि में ज्यादा अंतर हो जाए, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कम अवधि के लिए भी नियत प्रभार जो कि पूरे माह के लिए निर्धारित है, देना पड़े। रीडिंग अवधि में 1 या 2 दिनों का अंतर मान्य हो सकता है ना कि 7 दिनों की कम अवधि के लिए। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर किसी भी स्थिति में महीना 22 दिनों का नहीं हो सकता और ना ही इस अवधि के लिए अनावेदक द्वारा पूरा माह मानकर निर्धारित नियत प्रभार की दर से बिलिंग करना नैसर्गिक न्याय एवं प्रावधान के विपरीत है।

27 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 2.1(एच) के अनुसार बिलिंग माह 2 मापयंत्र वाचनों (मीटर रीडिंग) के मध्य तिथियों के अंतर्गत दिवस संख्या की अवधि से है जिसे

उपभोक्ताओं को बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना गया है। इसके अनुसार नियत प्रभार में प्रति केवीए बिलिंग बिलिंग डिमाण्ड प्रति बिलिंग माह के अनुसार निर्धारित किया जाना था, परन्तु नियत प्रभार माह के लिए निर्धारित किया गया। बिलिंग माह की परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि बिलिंग माह की अवधि कुछ भी हो सकती है जो कि किसी भी विधि एवं न्याय के अनुरूप नहीं है, तथा अनुज्ञप्तिधारी इसका फायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रचलित अभिव्यक्ति में महीना 28 दिन, 30 दिन या 31 दिन का ही माना गया है तथा इसकी पुष्टि भी जनरल क्लास एक्ट 1897 में परिभाषित की गई है।

28 कोई भी विनियम/संहिता के प्रावधानों को व्यावहारिकता की दृष्टि से अमल में लाना चाहिए। इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा अपनी सहूलियत के लिए उपभोक्ताओं के बिलिंग चक्र को परिवर्तित किया है तथा विद्युत प्रदाय संहिता की उपरोक्त कंडिका को दृष्टिगत रखते उन्होंने एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं से अलग–अलग अवधि हेतु बिलिंग माह निश्चित किये है। जिससे कि एक ग्रुप के उपभोक्ताओं को बिलिंग माह 22 दिन का हुआ तथा दूसरे ग्रुप के उपभोक्ताओं का बिलिंग माह 38 दिन हुआ। जिसके कारण एक ग्रुप के उपभोक्ताओं को 22 दिन के लिए ही पूरे माह का नियत प्रभार का भुगतान करना पड़ा तथा दूसरे ग्रुप के उपभोक्ताओं को 38 दिन की अवधि के लिए भी एक माह का ही नियत प्रभार जमा करना पड़ा जो कि एक बड़ी विसंगति एवं भेदभावपूर्ण नीति हुई जो किसी भी दृष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है, बिलिंग माह उपभोक्ताओं का बिलिंग के प्रयोजन से एक माह की अवधि पर विचार करते हुए माना जाना नैसर्गिक न्याय एवं प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए आवेदक से 22 दिन की अवधि के लिए नियत प्रभार पूरे माह हेतु लिया जाना किसी भी तर्क से न्याय संगत नहीं है अतः नियत प्रभार को प्रोरेटा केक आधार पर लेकर बिलिंग की जानी चाहिए। जैसा कि अस्थाई उच्चदाब उपभोक्ता हेतु जारी जनरल टर्म एण्ड कंडीशन की कंडिका 1.17(ए) में दर्शाया गया है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक माह नवंबर 2016 के विद्युत देयक में नियत प्रभार प्रो–रेटा (pro rata) के आधार पर लेकर संशोधित विद्युत देयक जारी करे।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

स उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

29 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल